

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० १९५] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल ७, १९७२/चैत्र १८, १८९४

195] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 7, 1972 CHAITRA' 18, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

CORRIGENDA

New Delhi, the 7th April 1972

S.O. 277(E).—In the notification of the Government of India in the Ministry of Law and Justice (Legislative Department), No. S.O. 224(E), dated the 22nd March, 1972, published at pages 555 and 556 of Part II, section 3, sub-section (ii), of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 22nd March, 1972 at page 555, in lines 13 and 14, for the words, figures and letters "two members representing the State of Gujarat who have died and who but for such death would have retired on 2nd April, 1972", read "two members representing the State of Gujarat of whom one has died and the other has been elected to the House of the People and would otherwise have retired on the 2nd April, 1972".

[No. F. 13(4)/72-Leg. II.]

K. K. SUNDARAM, Jt. Secy.

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

जुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 1972.

का० अ० 277(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2 खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 22 मार्च, 1972 के पृष्ठ 556 और 557 पर प्रकाशित भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग), की अधिसूचना सं० का० आ० 224 (अ) की द्वांक्ति 12 और 13 में "गुजरात राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले उन दो सदस्यों के स्थान भी हैं जिनकी मृत्यु हो गई है और मृत्यु न होने पर जो 2 अप्रैल, 1972 को अन्यथा निवृत्त हुए होते" शब्दों और अंकों के स्थान पर "गुजरात राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले उन दो सदस्यों के स्थान भी हैं जिनमें से एक की मृत्यु हो गई है और दूसरा लोक सभा के लिए निर्वाचित हो गया है और जो मृत्यु और निर्वाचित न होने पर 2 अप्रैल, 1972 को अन्यथा निवृत्त हुए होते" पढ़िए।

[सं० का० 13(4)/72-वि०वि०II]

के० के० गुप्तरम्, संयुक्त सचिव।